

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-134(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक-03.10.2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुवाहिक राहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-N2245021010016 मद में कुल मो0-30,000/- (तीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को अंचलाधिकारी, चौसा को विभागीय निर्देश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावृत्ति किया जाता है :-

क0 सं0	उपावृत्ति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावृत्ति की गई राशि	वर्तमान में उपावृत्ति की राशि	कुल उपावृत्ति राशि
1	2	3	4	5
01	अंचल अधिकारी, चौसा	90,000=00	30,000=00	1,20,000=00
	कुल-	90,000=00	30,000=00	1,20,000=00

(मो0-तीस हजार रुपये) मात्र

उपावृत्ति की शर्तें :-

- (1) यह आवंटन मृत पशु के पशुपालक- ध्यानी मुनी, पिता-जहोरी मुनी, ग्राम-मोरसंडा, अमनी टोला, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा का एक बैस दिनांक-21.06.2016 को वज्रपात से हुई मृत्यु के कारण पशुपालक को भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है।
- (2) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुवाहिक राहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-N2245021010016 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा द्वारा उपबंधित राशि से विकल्पनीय होगा।
- (3) उपावृत्ति राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावृत्ति किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आवृत्ति की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रतः एवं अचूक रूप से दिनांक-18.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (5) आवृत्ति राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का

(6) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष -लाघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष, उपशीर्ष का मुरह लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अदाशः पालन किया जाए।

(7) यदि उपरोक्त उपावंटन राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अक्षेप राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह/०/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक :.....884...../ आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक :13.....10..2016

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषगार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाविष्णुगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकशन हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अबुमंडल पदाधिकारी, उदाविष्णुगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/10/16
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।